रजिस्ट्री सं० डी० एल०—33001/97

REGISTERED NO. DL—33001/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 1997 (चैत्र 29, 1919)

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 1997 (CHAITRA 29, 1919)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं | 353 |
| भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं | 369 |
| भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं | 5 |
| भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं | 587 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | * |
| भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | * |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश | * |
| भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 349 |
| भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस | 721 |
| भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | — |
| भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 1291 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस | 61 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक | * |

*प्रकाशित नहीं हुए।

## CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . . | 353 |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . . | 369 |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . | 5 |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . . . . | 587 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . . . . . | * |
| PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories). . | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . | * |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . | * |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . | 349 |
| PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . | 721 |
| PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . . . | — |
| PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . . . . | 1291 |
| PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . | 61 |
| PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi | * |


*Folios not received

# भाग I—खण्ड 1

# [PART I—SECTION 1]

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

---

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1997

संकल्प

एफ सं. 26-1/93-एच.ए.—मधु मक्खी पालन से जुड़े कार्य-कलापों को बढ़ावा देने तथा उन्हें समन्वित करने और उसमें जुटी एजेन्सियों को तथा इस उद्योग को बढ़ावा देने हेतु किसानों और मधु मक्खी पालकों को निर्देश और सहायता देने के लिये भारत सरकार ने 27 सितम्बर, 1993 के समसंख्यक संकल्प के तहत तीन वर्ष की अवधि के लिये एक मधु मक्खी पालन विकास बोर्ड का गठन किया था। इस अवधि के पूरे हो जाने पर अब भारत सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन मधु मक्खी पालन विकास बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

2. इस बोर्ड की संरचना इस प्रकार होगी :—

अध्यक्ष

(1) सचिव (कृषि और सहकारिता)

सदस्य

(2) सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या उनका प्रतिनिधि

सदस्य

(3) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय या उनका प्रतिनिधि

सदस्य

(4) सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय या उनका प्रतिनिधि

सदस्य

(5) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उनका प्रतिनिधि

सदस्य

(6) अपर सचिव, प्रभारी बागवानी प्रभाग

सदस्य

(7) अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत आहार निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा

सदस्य

(8) सलाहकार (कृषि) योजना आयोग या उनका प्रतिनिधि

सदस्य

(9) अध्यक्ष, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग

सदस्य

(10) वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग

सदस्य

(11) कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

सदस्य

(12) (क) बिहार सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि

सदस्य

(13) (क) श्री टी. मुरुगन डाकघर कोरपिर जिला कन्याकुमारी (तमिलनाडु)

सदस्य

(ख) श्री त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, सी.पी.आई. कार्यालय अजय भवन, लंगरटोली, पटना

सदस्य

(14) (क) श्रीमती आर. कमला देवी प्रबन्ध निदेशक केरल राज्य मधुमक्खी पालन उद्योग लि., तिरुवनन्थापुरम, (केरल)

सदस्य

(ख) अध्यक्ष, सतमाहा कुटीर उद्योग गीता भवन, पुणे महाराष्ट्र

सदस्य

(15) नाबार्ड का प्रतिनिधि

सदस्य सचिव

(16) बागवानी आयुक्त

3. इस बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) कृषि उत्पादन के लिये एक अनिवार्य आदान के रूप में देश में मधुमक्खी पालन में अनुसंधान विस्तार और विकास कार्यक्रम को समन्वित करना, बढ़ावा देना, प्रायोजित करना तथा सहायता देना।

(2) शहद और इसके निर्यात सहित, फसल प्राप्ति के बाद के रख-रखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिये बुनियादी ढांचे के विकास को और सहायता देना।

(3) देश में मधुमक्खी पालन तथा सम्बद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देने से संबंधित नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना।

(4) इस बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और उसके बाद इसका पुनर्गठन किया जाएगा।

(5) यह बोर्ड अन्य एजेन्सियों अर्थात् लघु उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा प्रसंस्कृत आहार निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर कार्य करेगा।

(6) यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार इस बोर्ड की संरचना तथा विचारार्थ विषयों में उपयुक्त परिवर्तन कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए। (2) यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

डा. जी. एल. कौल
बागवानी आयुक्त

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

डाक जीवन बीमा निदेशालय

नई दिल्ली-110 021, दिनांक 26 मार्च 1997

पत्रांक 22-2/85-एल० आई०—दिनांक 15 सितम्बर, 1995 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से डाक जीवन बीमा और बंदोबस्ती से सम्बन्धित मौजूदा नियमों में आगे निम्नलिखित संशोधन कर दिए जाएं :—

2. डाकघर बीमा निधि नियमावली के नियम 21 के नीचे मौजूदा टिप्पणी-1 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

टिप्पणी-1 :

"चिकित्सा अधिकारियों की पद स्थिति और प्रत्येक चिकित्सा जांच के लिए उनको भुगतान किए जाने वाले शुल्क की राशि प्रत्येक के आगे दी गई दरों के अनुसार होगी।"

| चिकित्सा अधिकारियों की पद स्थिति | प्रत्येक चिकित्सा जांच हेतु भुगतान की जाने वाली राशि |
|---|---|
| (i) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, म्युनिसिपल, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, कैंट बोर्ड तथा यूनियन बोर्ड, अस्पताल तथा डिस्पेंसरी में नियुक्त सिविल सर्जन के स्तर से नीचे के स्तर के चिकित्सा अधिकारी तथा राज्य एवं केन्द्र, दोनों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की यूनिटों के चिकित्सा अधिकारी। | 20/- रुपए (बीस रुपए) |
| (ii) सरकार में नौकरीशुदा ऐसे सिविल सर्जन तथा चिकित्सा अधिकारी जिनका दर्जा सिविल सर्जन के स्तर से नीचे का नहीं है। | 30/- रुपये (तीस रुपये) |

3. इसे वित्त सलाह शाखा की सहमति से उनकी दिनांक 27 जनवरी, 1997/14 फरवरी, 1997 की डायरी सं० 253/97/एफ.ए. के द्वारा जारी किया जा रहा है।

कर्नल कमलेश्वर प्रसाद,
उप महा प्रबन्धक (पी० एल० आई०)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 9th January 1997

RESOLUTION

F. No. 26-1/93-H.A.—In order to promote and coordinate activities involved in beekeeping, provide directions and support to the agencies involved, and to the farmers and beekeepers in promotion of the industry, the Government of India had constituted a Beekeeping Development Board vide resolution of even number dated 27th September, 1993 for a duration of three years. On completion of the tenure, the Government of India have now decided to reconstitute the Beekeeping Development Board under the Department of Agriculture and Cooperation.

2. The composition of the Board would be as under :—

*Chairman*

(i) Secretary (Agriculture & Cooperation).

*Members*

(ii) Secretary, Ministry of Food Processing Industry or his representative.

(iii) Secretary, Ministry of Commerce or his representative.

(iv) Secretary, Ministry of Small Scale Industries or his representative.

(v) Director General, ICAR or his representative.

(vi) Additional Secretary Incharge of Horticulture Division.

(vii) Chairman, Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA).

(viii) Adviser (Agriculture), Planning Commission or his representative.

(ix) Chairman, Khadi and Village Industries Commission.

(x) Financial Adviser, Department of Agriculture and Cooperation.

(xi) Executive Director, National Horticulture Board.

(xii) (a) Representative of Government of Bihar.

(b) Representative of Government of Himachal Pradesh.

(xiii) (a) Shri T. Murugan, P.O. Karipara, Distt. Kanyakumari (Tamil Nadu).

(b) Shri Triveni Sharma, Sudhakar; CPI Office, Ajay Bhavan, Langartoli, Patna.

(xiv) (a) Mrs. R. Kamala Devi, Managing Director, Kerala State Beekeeping Industries Ltd. Thiruvananthapuram (Kerala).

(b) Head, Satmaha Cottage Industries, Geetha Bhavan, Pune, Maharashtra.

(xv) Representative of NABARD.

*Member Secretary*

(xvi) Horticulture Commissioner.

3. The terms of reference of the Board would be as under :—

1. To Coordinate, promote, sponsor and support research, extension and development programme in beekeeping in the country as an essential input for agricultural production.

2. To promote and assist in infrastructural development for post harvest handling, processing and marketing including export of honey and its products.

3. To advise the Government on policy matters involved in promotion of beekeeping and related activities in country.

4. The tenure of the Board will be for three years and thereafter it will be reconstituted.

5. The Board will work in unison with the other agencies viz. Ministry of Small Scale Industry, Ministry of Food Processing Industry and Agricultural and Processed Food Exports Development Authority (APEDA).

6. The Government of India may make suitable changes in the composition and terms of reference etc. of the Board, if required.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DR. G. L. KAUL,
Horticulture Commissioner

MINISTRY OF COMMUNICATION
DEPARTMENT OF POSTS
DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE

New Delhi-110021, the 26th March, 1997

No. 22-2/85-LI—In supersession of Notification of even number Dtd. 15-9-95, the President hereby directs that the following amendments be further made in the existing Rules relating to Postal Life Insurance and Endowment Assurance, with effect from 01-04-1997.

2. The existing Note 1 below Rule 21 of POIF Rules shall be replaced by the following :—

Note 1 : "The status of Medical Officers and amount of fee to be paid for each Medical Examination shall be as per the rates noted against each"

| Status of Medical Officers | Amount payable for each Medical Examination |
|---|---|
| (i) Medical Officers below the status of Civil Surgeon employed in Central and State Govt. Municipal, District Board, Local Board, Cantonment Board and Union Board, Hospitals or dispensaries and also Medical Officers of units public Sector Undertaking both state and Central. | Rs. 20/- (Rs. Twenty) |
| (ii) Civil Surgeon & Medical Officers in the employment of Government, enjoying the status, not lower than that of a Civil Surgeon. | Rs. 30/- (Rs. Thirty) |

3. This issues with the approval of Finance Advice branch vide their Diary No.253/97/FA Dtd. 27-1-1997/14-2-97.

Col. KAMLESHWAR PRASAD
Dy- General Manager (PLI)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1997.